9093
12/3/14

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर, दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत संदर्भित वाद संख्या– 579 /2013–14

नाम योगेन्द्र यादव **बनाम** भोगी यादव वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
17/12/13	श्री योगेन्द्र यादव पिता– स्व0 सुखदेव यादव ग्राम फरदाहा पो0– थाना– बहेड़ा अंचल– जिला– दरभंगा के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से श्री भोगी यादव पिता– स्व0 मिसरी यादव ग्राम– फरदाहा पो0– थाना– बहेड़ा अंचल जिला– दरभंगा के विरूद्ध बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत वाद–पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें विवाद के अन्तर्गत निम्न ब्योरे की भूमि है:–	16/01/14

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा
मुस्तफापुर	82	03 पु0 04 नया	39 डी0
	82 पु0 13 नया	03 पु0 04 नया	20 डी0 दक्षिणे
	82 पु0 134 नया	03 पु0 03 नया	19 1/2 डी0 उत्तरे

आवेदक के वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों तथा विज्ञ अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् वाद–पत्र को प्रतिग्रहित किया जाता है।

पक्षकार को सुचना निर्गत करें, कि वे निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उचित पक्ष प्रस्तुत करें।

अभिलेख दिनांक 02/01/14 को रखें।

लेखापित एव शुद्धित

17/12/13

भू0 सु0 उप समाहर्त्ता
सदर, दरभंगा।

17/12/13

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सदर, दरभंगा।

2.1.14- वादी / विपक्षी / अनु0

पुनः दिनांक 16.1.14 को रखें।

भू.सु.उ.स.

16.1.14. उभयपक्ष द्वारा वाद पत्र में सुलहनामा दाखिल किया गया है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उभयपक्षों के बीच सुलहनामा हो चुका है इसलिए इस वाद की कार्रवाई को समाप्त कर दिया जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर तथा सुलहनामा के आधार पर इस वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।

16/01/14

भूमि सुधार उप समाहर्ता

सदर, दरभंगा।